न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 57/2017

मन्नू पुत्र मूली जाति मीणा निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. भगवन्ती पुत्री मूली
2. किन्नो पुत्री मूली
3. जग्गी पुत्री मूली
4. गोपाल मृतक
4/1. ऊंगन्ती पत्नी गोपाल
4/2. जीतेन्द्र पुत्र गोपाल
4/3. सुनी पुत्र गोपाल

} जाति मीणा निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 12.12.2008 बाबत नामान्तरकरण संख्या 1468 वांकै ग्राम तुहिया पट्टी उच्चैन।

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्दसिंह डांगुर, अभिभाषक अपी0
2. श्री विजयसिंह कुंतल, अभिभाषक रैस्पो0
3. श्री पंकज कुमार, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 30.12.2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 12.12.2008 पेश की गई है। है। अपीलाधीन आदेश विरासत के आधार पर

नामान्तरकरण संख्या 1465 बाकै ग्राम तुहिया पट्टी उच्चैन स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1465 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया है कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं खिलाफ पत्रावली पारित किया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि मूली पुत्र छाजू जाति मीणा की सन् 2008 में मृत्यु हो जाने पर उसके नाम दर्ज कृषि भूमि का नामान्तरकरण तहसीलदार रूपवास द्वारा उसके वारिसान तीन पुत्र क्रमशः जग्गी, मन्नू, गोपाल व दो पुत्री भगवन्ती व किन्नो के नाम खोला गया। वक्त नामान्तरकरण दिनांक 29.09.2008 को पुत्री भगवन्ती द्वारा एक रिलीज डीड जग्गी रैस्पो0 के नाम कर दी। उक्त आधार पर मूली पुत्र छाजू की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 1468 जग्गी पुत्र मूली 2/5, मन्नू, गोपाल 2/5 व किन्नो पुत्री मूली 1/5 के नाम नामान्तरकरण खोल दिया और उक्त आधार पर जमाबन्दी में खातेदारी के इन्द्राज हो गये। उन्होने जाहिर किया कि अपीलान्ट व रैस्पो0 मीणा जाति से है और मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(3) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर उक्त अधिनियम के प्रावधान तब तक लागू नहीं होगे जब तक कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर लागू नहीं कर दिया जाता है जो आदिनांक तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिये मूली की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण जो पुत्रियों भगवन्ती व किन्नो के हक में खोला गया है वह अवैध एवं शून्य वहक अपीलान्ट है। मूली की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र ही विरासत में हक प्राप्त करने के अधिकारी है और मूली की पत्नी की मृत्यु मूली से 4 साल पहले हो चुकी थी, इसलिये तीन पुत्रों के अलावा पुत्रियों को मूली की कृषि आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उन्होने यह भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जाहिर किया कि मूली की पहली पत्नी हरवेदी थी जिसके दो संतान क्रमशः जग्गी व भगवन्ती पैदा हुये, उसके बाद हरवेदी की मृत्यु हो गई है, हरवेदी की मृत्यु बाद मूली ने दूसरी शादी बांगडी से हुई और कांगडी के मन्नू, गोपाल एवं किन्नो पैदा हुये। जग्गी ने मिल्लत करते हुये भगवन्ती से मूली की मृत्यु का नामान्तरकरण होने से पहले एक रिजीज डीड अपने नाम करा ली और उस आधार पर नामान्तरकरण करा लिया और अब किन्नो से भी रिलीज डीड अपने पक्ष में कराने की फिराक में है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि भगवन्ती द्वारा रिलीज डीड जग्गो के हक में कर नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा अवैध तरीके से खोल दिया जिसमें किन्नो का भी 1/5 हिस्सा दर्ज किया है। भगवन्ती व किन्नो को कोई अधिकार मूली की सम्पत्ति में नहीं मिलता है। तहसीलदार द्वारा कानून के विपरीत नामान्तरकरण खोला गया है वह अवैध व शून्य है। सर्वप्रथम तो नामान्तरकरण खोलने का अधिकार ग्राम पंचायत को है और ग्राम पंचायत 45 दिवस बाद नामान्तरकरण खोलने में असमर्थ रहती है तो तहसीलदार को क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। अवैध एवं शून्य आदेशों को कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। फिर भी दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अपीलान्ट पढा लिखा नहीं है, अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है, कानून का कतई ज्ञान नहीं है। अपीलान्ट यह भी ज्ञान नहीं था कि मीणा समुदाय में पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता है। अब कानूनी सलाहकार से कानूनी मशविरा करे उक्त तथ्य का ज्ञान आया इसलिये होने जानकारी कानून से एवं किन्नो द्वारा अवैध रूप से दर्ज हुये हिस्सा 1/5 खातेदारी को अन्यत्र कही बेचने की धमकी देने से पैदा हुआ है। इसलिये अपील होने कानून की जानकारी एवं लेने नकल नामान्तरकरण दिनांक 14.07.2017 से अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अतः अपील मंजूर की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1468 दिनांक 12.12.2008 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की।

अभिभाषक रैस्पो0 ने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस का जबाब देते हुये सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर आपत्ति की। अपील विवादास्पद आदेश की दिनांक से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

30 दिवस की अवधि के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिये परन्तु प्रस्तुत प्ररकण में नामान्तरकरण संख्या 1468 दिनांक 12.12.2008 यादि 9 वर्ष पुराने नामान्तरकरण को चैलेज किया गया है। जिस दिन विवादित नामान्तरकरण स्वीकार हुआ था। उस दिन अपीलान्ट मौजूद था एवं अधिकार सम्बन्धी समस्त बिन्दुओं के बाबत सुनवाई करते हुये नामान्तरकरण स्वीकार किया गया था। अपीलान्ट द्वारा अपने 1/5 हिस्सा को दिनांक 01.08.2014 को पी.एन.बी. उच्चैन को रहन रखा था। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को नामान्तकरण के स्वीकार होने की जानकारी शुरू से ही थी। अपीलान्ट द्वारा अपील म्याद बाहर होने का कोई तर्क संगत कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। जिससे अपील में 9 वर्षो की देरी को माफ किया जा सके। इसलिये अपील अपीलान्ट म्याद बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावें। अभिभाषक रैस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1110, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117, आर.आर.डी. 1994 पेज 466, ए.आई.आर. 1996 (एससी) पेज 1864 की न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के साथ प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें अंकित किया है कि अपीलान्ट पढा लिखा व्यक्ति नहीं, कानून का ज्ञान नहीं है कि मीणा समुदाय में पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का कोई हक नहीं होता है। इसकी जानकारी होने पर अपील दिनांक 20.04.2017 को पेश कर दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1468 दिनाक 12.12.2008 को निर्णित किया गया था। रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण संख्या 1748 दिनांक 04.08.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा पंजाब नेशनल बैक उच्चैन से अपनी खातेदारी की आराजी को रहन रख ऋण लिया गया था। इस नामान्तरकरण का नोट जमाबन्दी संवत 2069–2072 में भी अंकित है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 1468 की पूर्ण जानकारी थी एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जानकारी होने के बाबजूद अपील म्याद बाहर पेश की गई। अपने प्रार्थना पत्र में भी कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया गया है एवं कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्तो से यह स्पष्ट है कि यह अपील अत्यधिक बिलम्ब से पेश की गई है। फलस्वरूप अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट म्याद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार उच्चैन को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)